

(भारत सरकार का उपक्रम)

सर्किल ऑफिस सैम आरा: दूसरा तल्ला, होटल रिगल कॉम्प्लेक्स, रमना मैदान के निकट, आरा, भोजपुर, बिहार-802301

फोन नं.: 7407563366, ईमेल: cs8187@pnbbank.in

अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6)/9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के बिक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्वारा सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं), जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, संबंधित उधारकर्ता(ओं), जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) से बैंक/सुरक्षित लेनदार को बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और बकाया राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी।

सुरक्षित परिसम्पत्तियों की अनुसूची

लॉट नं.	शाखा का नाम	बंधक रकमी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (सम्पत्ति यों) का बंधककर्ता)	क) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के तहत मॉग सूचना की तिथि ख) मॉग सूचना के अनुसार बकाया राशि ग) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(4) के तहत कब्जा की तिथि। घ) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक ङ) बिक्री सूचना के अनुसार बकाया राशि	क) आरक्षित मूल्य ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तारीख/समय	सुरक्षित लेनदारों की ज्ञात भारों का विवरण
	खाता का नाम					
	कर्मदार/ जमानतदार का नाम एवं पता					
1.	पीएनबी-शाखा: कोईलवर (072500) लालू सिंह, पिता-राम चन्द्र महतो खाता नं. 0725009300004879 (उधारकर्ता) लालू सिंह, पिता-रामचन्द्र महतो, आवासीय पता: ग्राम-ज्ञानचक्र, पोस्ट-करवा, थाना-उदयनगर, जिला-भोजपुर, बिहार-802312 (सह-उधारकर्ता) पुष्पा देवी पति-लालू सिंह, आवासीय पता: ग्राम-ज्ञानचक्र, पोस्ट-करवा, थाना-उदयनगर, जिला-भोजपुर, बिहार-802312 (जमानतदार) श्री शशी भूषण यादव पिता-रमना राय, आवासीय पता: ग्राम-दुर्जन चौक, मिरापुर, बाधन गांव, जिला-भोजपुर, बिहार-802163	अवस्थित जमीन मोझा-गोधना, थाना नं. -178, चक्र खाता नं.-81, चक्र प्लॉट नं.-885, खाता नं.-39, प्लॉट नं.-817, 818, थाना-उदयनगर, जिला-भोजपुर, रकबा-03 हिसमिल टाईटल डीड नं. -5292 तिथि 20.05.2016. चौहद्दी: उत्तर-पक्की सड़क, दक्षिण-श्री कपिल देव यादव, पूर्व-वेदर ज्ञानि देवी, पश्चिम-निज लेख्यकारी। बंधककर्ता:- श्री लालू सिंह, पिता-रामचन्द्र महतो	क) 28.07.2025 ख) रु. 9,67,27,560/- + आगे का बकाया ब्याज एवं अन्य शुल्क ग) 15.10.2025 घ) सांकेतिक ङ) रु. 8,22,524.35/- + आगे का बकाया ब्याज एवं अन्य शुल्क	क) रु. 19,50,480/- ख) रु. 1,95,048/- ग) रु. 50,000/-	26.05.2026 दोपहर 12:00 से सायं 04:00	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें

- बिक्री सूचना हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों निम्नलिखित के अधीन होगी।
- संपत्तियाँ "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेची जा रही है।
- उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का बिक्रय प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोच्च जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी प्रति, गलत विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- बिक्री अधोदस्ताखी द्वारा वेबसाइट <https://baanknet.com> पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 26/05/2026 को दोपहर 12:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक की जाएगी।
- बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> और www.pnbindia.in देखें।

नोट:- विवाद की स्थिति में अग्रणी पाठ मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी

(भारत सरकार का उपक्रम)

ए.आर.एम.बी आरा: दूसरा तल्ला, होटल रिगल कॉम्प्लेक्स, रमना मैदान के निकट, आरा, भोजपुर, बिहार-802301

ईमेल: cs8187@pnbbank.in

अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6)/9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के बिक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्वारा सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं), जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, संबंधित उधारकर्ता(ओं), जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) से बैंक/सुरक्षित लेनदार को बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और बकाया राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी।

सुरक्षित परिसम्पत्तियों की अनुसूची